श्री उपसभापति : आपने यह कहा है डिबेट में, मैं आपको सुना देता हूं। "इतना ही मुझे इस पर कहना है।" यह डिबेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि डिबेट खत्म हो गई, कक्लूड हो गई।

अब आप अपना दूसरा बिल लीजिए।

THE CONSTTUTON (AMENDMENT) BILL, 1979—(TO AMEND ARTICLE 233)

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति जी, मैं अपना दूसरा संविधान संशोधन विधेयक बहस के लिए रख रहा हूं। यह मेरा संशोधन है संविधान की धारा 233 में जिसमें जिले के जजों को अपाइंट करने की बात है।

[उपसमाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) पीठासीन हुए]

श्रीमन्, मेरा सशोधन है कि जिले का जो जज है वह जनता द्वारा चुना जाए। चुनाव का प्रोसीजर यह है कि जिले के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनका एलेक्टोरल कालेज हो। जो बी० ए० पास हों किसी इंडियन युनिवर्सिटी से, वह उसमें वोट देने के अधिकारी हों। लेकिन कैंडिडेट कौन होगा? कैंडीडेट वही होगा जो 7 साल की प्रेक्टिस कर चुका हो या लाइसेंस होल्डर रह चुका हो। कैंडिडेट वही होगा जिसे ला का ज्ञान हो। इसलिए उसके लिए 7 साल का अनुभव होगा। लेकिन वोटर्स जिले के ग्रेजुएट्स होंगे। इसमें आश्चर्य चकित होने की कोई बात नहीं है। हम लोगों के यह पहले से ही एम० एल० सी० के लिए ग्रेजुएट कंस्टीचुयेंसी है। दो तीन जिलों में उनका चुनाव होता है। मेरा सुझाव है कि दो, तीन या 5 जिलों के लोग इसमें वोटर्स हों जो कि ग्रेजुएट हों। लेकिन कैंडीडेट वही होगा जिसे ला कोर्ट में प्रेक्टिस कर का कम से कम 7 साल का अनुभव; यह कोई नई बात में नहीं कह रहा हूं। दुनिया में इलेक्टेड जज हैं, चुने जाते हैं। युनाइटेड स्टेट्स में, जज इलेक्ट होते हैं। उनके यहां 50 में से आधे से अधिक स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वे चुने जाते हैं।

श्रीमन्, कानून के मंत्री जी जानते हैं कि यह पारिपाटी नई नहीं है। जजों के चुनने की परिपाटी नई बात नहीं है। स्विटजरलैंड में, कैलिफोर्निया में भी ऐसा है। रशिया में तो मैं कहूंगा कि जनता द्वारा सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक चुनी जाती है, वहां भी जज चुने जाते हैं। आपके यहां थोड़ी देर के लिए जज एकदम नहीं है तो में उदाहरण देता हूं कि ऐसी बात है। ट्रायल बाई ज्यूरी यहां है। ज्यूरी का जो फार्मेशन होता है उसमें लेमैन भी रहते हैं, साधारण आदमी भी उसमें जाकर निर्णय देता चाहे उसका दायरा लिमिटेड हो। तो मेरा कहना यह है कि जनता द्वारा जज चुने जायें और इसकी शुरुआत जिला स्तर से हो, ऐक्सपेरिमेंट पहले जिला स्तर पर हो, फिर स्टेट-लेवल पर और फिर सेंट्रल लेवल पर। लेकिन विचाराधारा जो जजों के चुनने की है उसको हम लोग कबूल करें। इस विधेयक में यही व्यवस्था है। देश में बड़े-बड़े विवाद अभी चल रहे हैं। मंत्री महोदय जानते होंगे कि जजों की एपाइंटमेंट को लेकर और जजों की ट्रांसफर को लेकर बात चल रही है। दो विवाद बार-एसोसिएशन की तरफ से चल रहे हैं उसमें एक यह है कि जजों की अपाइंटमेंट कैसे हो। ला कमीशन की रिकमेंडेशन है। उसने आपको बताया है कि एक कौंसिल बने, एक बाडी बने जिसमें आप ला मिनिस्टर के नाते रहेंगे एटार्नी जनरल रहेगा, चीफ जस्टिस रहेगा और तीन सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। इस तरह से एक बाडी जो जजों की अपाइंटमेंट की रिकमेंडेशन करे। क्योंकि ला कमीशन को भी शक

है कि अभी जो अपाएंटमेंट का तरीका है वह ठीक नहीं है। चाहे वह राष्ट्रपति के नाम से हो और चाहे ला मिनिस्टर के नाम से हो अभी का जो तरीका है वह डिफेक्टिव है। उसको ठीक करने के लिये एक कौंसिल का, बाडी का सुझाव दिया गया है। ट्रांसफर के मुतल्लिक भी बात है। जजों का ट्रांसफर की बात भी बिल के अन्दर आ जाती है। मैं बिल पढ़ देता हूं। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप धारा 283 देखें कंस्टीट्यूशन की जिसमें डिस्ट्रिक्ट जजों की अपाएंटमेंट के बारे में है।

"Appointment of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.

A person nol already in the service of the Union or of the State shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than seven years an advocate or a pleader and is recommended by the High Court for appointment.

ईसे गर्वनर चुनेंगे। लेकिन कैंडीडेट जो होगा उसको सात साल का एक्सपीरियंस होगा। यह संविधान में है। मैं इसमें क्लाज– I में मैं जोड़ना चाहता हूं·

In article 233 of the Constitution,—

(i) to clause (1), the following proviso shall be added, namely—

"Provided that at least one such judge in each district shall be elected by the members of an electoral college consisting of persons residing in that district who are raduates of any University in the territory of India; and

(ii) for clause (2), the following clause shall be substituted namely:—

"(2) A person not already in the service of the Union or of a State shall only be eligible to be appointed or elected, as the case may be, a district judge if he has been for not less than seven

{to amend Article 233)

years an advocate or a pleader and, in the case of appointment, is recommended by the High Court."

मुख्य संशोधन जो है एक जज कम से कम चुना जाए उनमें से जो इलेक्टोरल कालिज के मैम्बर हैं। मैंने आब्जेक्टस यह बहुत सिम्पल है। अब मैं आपको मौजूदा उदाहरण दूं कि कौन-कौन हैं। मैं सबसे पहले कैलिफोर्निया के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां क्या व्यवस्था है। इसके भी पहले मैं एक थयोरिटिकल बात कहना चाहता हूं। यदि आप यह सवाल उठाते हैं कि जजों को क्यों चुनने की व्यवस्था हम करें तो आपकी जो पद्धति है परिपाटी है अपाएंट करने की प्रेजीडेंट के जरिये, गवर्नर के जरिये तो मैं फिर इसके जवाब में सवाल करता हूं कि आप जनतंत्र को क्यों पसन्द करते हैं? आप जनतंत्र को अच्छा क्यों बताते हैं? मैं चाहता हूं कि इन बातों का मंत्री जी ठीक से जवाब दें। इसका कारण यह है कि हमारे देश के नेताओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन के वक्त जनतंत्री तरीकों और आदेशों को कबूल किया। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा संविधान क्यों बनाया गया? उसमें यह परम्परा क्यों रखी गई कि हमारा जनतंत्री ढांचा रहेगा? हमने जनतंत्र को क्यों कबूल किया? इसका कारण यह था कि भारत जैसे देश में उन दिनों रखने वाले थे लेकिन इस पर मैं बाद में आऊंगा। चाहे आवेस हो अपने तरीके से, एक साइड लेने वाले, चाहे लाख हों, सिविल बार में आने वाले या

[श्री शिव चन्द्र झा]
भी और आज भी ऐसे लोग हैं जो जनतंत्री व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इसके विपरीत आज भी अगर आप खोज करें तो आप को इस प्रकार के लोग भी मिल जाएंगे जो यह कहेंगे कि भारत के लिए अभी जनतंत्र की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर एजूकेशन की कमी है। अगर हम राम राज्य की बात करते हैं तो उसमें भी राजा की बात आ जाती है। कुछ लोग इस प्रकार के भी हो सकते हैं जो अभी बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप को भी पसन्द कर लेते हैं। यहां तक तो यह ठीक है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में भी हमारे नेताओं ने जनतंत्र को क्यों कबूल किया? अगर इसका कोई तर्कपूर्ण जवाब होता है तो वही तर्कपूर्ण जवाब जजेज के संबंध में भी आ जाता है। हिन्दुस्तान की ही बात नहीं है, सारी दुनिया में जनता को क्यों पसन्द किया गया। अगर विश्व के इतिहास पर दृष्टि डालें तो आपको पता चलेगा कि मानव समाज दासता की प्रथा समाप्त कर दी गई क्योंकि दासता की प्रथा मानव समाज के लिए कलंक है। दासता की प्रथा समाज के लिए खराब समझी गई, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया एक मानव द्वारा दूसरे मानव को सताना ठीक नहीं समझा गया, इसलिए उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई उसके बाद दूसरी प्रथा आई जिसको सामन्तवादी प्रथा के नाम से जाना जाता है। उसका राजा से थोड़ा अच्छा समझा गया लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया, इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता गया सन् 1215 में किंग जोन के सामने कुछ लोग तलवार लेकर गये और कहा कि तुम इस पर दस्तखत करो और यह भी कहा कि तुम हमारी सहमति के बगर कोई काम नहीं कर सकते हो। ये सब लोग सामन्त ही थे। राजा को कहा गया कि तुम को इन सीमाओं के अन्दर काम करना पड़ेगा और तुमको इसकी सीमाओं के बाहर नहीं जाना होगा। प्रश्न यह है कि राजा को इस प्रकार से क्यों मजबूर किया गया? इसके पीछे यही बात थी कि एक मानव दूसरे मानव को नहीं सता सकता है। इसीलिए राजा को मैगनाकार्टा पर दस्तखत करने पड़े। राजा ने झक मारकर उस पर दस्तखत किये। कोई भी मानव चाहे वह राजा हो या साधारण आदमी हैं। वह दूसरे मनुष्य को नहीं दबा सकता र' इन सब परिवर्तनों के पीछे यही दर्शन था कि एक मानव दूसरे मानव को नहीं दबा सकता है। यही कारण है कि सन् 1215 में किंग जान ने मैगनाकार्टा पर दस्तखत किये। लेकिन इस बात को पूरी तरह से जितना कबूल किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया गया। जब सभ्यता की गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो 17वीं शताब्दी में किंग चार्ल्स को हटाया गया। टावर आफ लंदन में क्रामवेल की गर्दन उतार दी गई। उतारने वाले कौन थे? जो चाहते थे कि राजा को अधिकार नहीं है बल्कि जनता के प्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में हैं उनको पावर है, लड़ाई यह थी। गर्दन उतारना यह तो सैकंडरी बात थी। लेकिन उसकी गर्दन उतार दी गई जो कहता था कि मैं खुदा का अवतार हूं। उन्होंने कहा कि सब को अधिकार है और जनता की लड़ाई यहां से हुई है। इग्लैंड में एक क्रांति की, एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन की शुरूआत हो गई और यह हुआ 1682 में कि पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि हैं वे राज को चलायेंगे और उसको मोटे तौर पर दस्तखत करने होंगे। जैसा यहां हैं। क्यों इन लोगों ने यह आवाज उठाई। क्या ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा दर्शन था जिसने इनको मजबूर किया यह सोचने के लिये कि यह देवी पुत्र नहीं है, दैवी अधिकार उनके नहीं हैं। उन दिनों में दोनों विचार

सबसे बड़ा, सबसे अधिक जो मैं जोर दूगा मारविबस आफ मान्टेस्क के बारे में। यहां सेपरेशन आफ पावर की बात आ जाती है । मांटेक्स फ्रैंच मैन जो थे इस पर मैं बाद में आऊंगा। यह बात बाद में आई लेकिन इन लोगों के विचार साबित कर रहे थे कि जनता को अधिकार है कि जो उसका सोशल कान्ट्रेक्ट का अधिकार है उसके आधार पर उनको अधिकार है कि वह जिस तरह से भी अपने प्रतिनिधि चुने, अपने शासक चुने और अगर शासक गड़बड़ी करता है तो जनता को अधिकार है कि वह उस शासक को हटा दें। और इसी बात ने प्रेरित किया अमेरिका को, डिक्लरेशन आफ इंडिपेंडेंस 1776 में । टाम पेन लाक्स की विचारधारा से प्रभावित हुए और यही विचारधारा थी, यह दर्शन था जिसने प्रेरित किया टाम पेन को, मेटर आफ कामन सेंस कि जनतंत्र को पसंद करना मेटर आफ कामन सेंस है और उस पुस्तिका ने वाइल्ड फायर के रूप में वहां पर डेमोक्रेसी की हवा को बनाया । बात यहां तक ही नहीं रही बेस्टिल के किले पर हमला किया पेरिस की जनता ने । उपसभापति महोदय, 1789 में उनका अभिनन्दन हो रहा था और उनका नेशनल एंथम गाया जा रहा था तो बेस्टिल के किले पर हमला किया गया । उपसभापति महोदय, एच० जी० वेल्स ने 'आउटलाइन आफ हिस्ट्री' लिखी है । उसमें इन बातों का जिक्र है । खून खौल उठता है । पेरिस के अंदर जो गुजुल्म हो रहे थे और जो कुछ हो रहा था उसके विरोध में हमला किया गया । उपसभापति महोदय, एडमंड वर्क ने एक किताब लिखी है 'रिफ्लेक्शन आन फ्रैंच रिवोल्यूशन' । लेकिन एक बहुत बड़े क्रांतिकारी टाम मेन ने राइट्स टु मैन, कि जनता को अधिकार है कि अगर राजा जुल्म करता है तो उसको हटा दें या उसको खत्म कर दें, इसका प्रतिपादन किया । जनता को अधिकार है कि वह उसको हटा दे। मैं इन बातों को जोर देकर इसलिये कहता हूं कि इस तरह की विचारधारा बहुत पहले से उठी थी। इन लोगों ने इसके लिये बहुत बड़ा संघर्ष किया। मानव के अधिकार के विकास के लिए, जनतंत्र के विकास के लिए, सभ्यता के विकास के लिए यदि आप इस को ठीक समझते हैं तो जजों के चुनने की बात जो मैंने की है वह ठीक है। उसी तर्क, लोजीकल कान्सीक्वेंसिज से यह बात है। यदि आप इसको पसंद नहीं करते हैं कि जजों का चुनना ठीक नहीं होगा तो मुझे कनक्लूड करना होगा कि शायद आप जनतंत्र को पसंद नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे नेताओं ने अडल्ट फ्रैंचाइज मेल और फीमेल दोनों को दे दिया है । अमरीका और इंग्लैंड में 18 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ था बीसवीं सदी में और स्विटजरलैंड में 1971 में हुआ। सो काल्ड आइडियल आफ डेमोक्रेसी या जो कुछ था लेकिन एक सेक्शन महिलाओं का वोट के अधिकार से वंचित था लेकिन अब हुआ । इतना ही नहीं एक महिला को फेडरल कौंसिल में इसलिए नहीं आने दिया कि वह फेडरल कौंसिल को चलाने के लायक नहीं है । यह सब चीजें वहां चलती हैं लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिस आदर्श के लिए 1215 में जौन को मजबूर किया गया, जिस आदर्श को ले कर के 1685 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं वह हुई। मैं मानव जाति की बात उठा रहा हू, जिस आदर्श को ले कर पेरिस की जनता ने प्रेस्टीज के किले पर हमला किया, जिस आदर्श को ले कर के थामसन जैफरसन ने डिक्लेयरेशन आफ इंडीपेंडेंस

[श्री शिव चन्द्र झा]

जिक्र, टाम पेन ने राइट्स आफ मैन लिखा और जिस आदर्श से प्रेरित हो कर के हमारे नेताओं ने कराची रेजोल्यूशन पास किया 1931 में । यह कराची रेजोल्यूशन क्या है ? देश आजाद भी नहीं हुआ था । अभी आजादी बाकी थी लेकिन फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पास हुआ था । उस समय यह शेखचिल्ली जैसी बात लगती थी । कहिये मंत्री जी थी या नहीं ? ऐसे भी लोग थे जो कहते थे देश आजाद नहीं हुआ और आप फंडामेंटल राइटट्स का प्रस्ताव पास कर रहे हैं । Right to this, right to that, what is this? लेकिन हमारे देश के नेताओं ने कहा कि हम करेंगे । जब देश आजाद होगा, हमारा संविधान बनेगा उसमें हम जनतंत्र के जो हक हैं वे सब शामिल करेंगे । हमारे नेताओं ने किया । इतिहास ने मौका दिया । संविधान बना लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कुछ कमियां हैं, कुछ लेकुना हैं और इनको हटाने की जरूरत है । जैसे मैंने इंग्लैंड के संविधान की बात उठाई, जिसको मदर आफ पालियामेंट्स कहते हैं फिर भी वहां कमियां हैं । अमरीका मे भी कमियां हैं । राइट टू वर्क नहीं है । इंग्लैंड और अमरीका का संविधान आप देख लीजिये । हमारे यहां पोलिटिकल डेमोक्रेसी है, इकोनोमिक डेमोक्रेसी नहीं है और राजनीतिक जनतंत्र में भी राइट टु वर्क होना जरूरी है । मैंने बिल पेश किया था, मैंने बहस उठाई थी और आपने यह कहा था कि हम मे दम नहीं है अभी, अभी हम को ताकत नहीं है, सामर्थ नहीं है । यदि इस दृष्टिकोण से समाज नहीं बना सकते लेकिन हमारे संविधान में इसकी कमी है । जिस दिन हमारे संविधान में राइट टू वर्क लिखा जाएगा हम कहेंगे कि हमारे संविधान का ब्यूटीफिकेशन हो गया, यह हमारे जनतंत्र के लिए एक कदम आगे होगा । उसी तरह से राइट टू रिकाल का मैंने बिल पेश किया था, बहस उठाई थी आपका क्या जवाब था, मंत्री जी, क्या आपको याद है ? आपने कहा था कि यह तो लिटिगेशन का अड्डा हो जाएगा, कोर्ट भर जाएंगे, मुकदमेंबाजी होगी । यह बहुत अच्छा तरीका है इग्नोर करने का लेकिन यदि यह बात मान ली जाए तो इससे हमारे संविधान का ब्यूटीफिकेशन हो जाएगा, जब यह डिक्लेयरेशन होगा तब हम आगे बढ़ेंगे ।

3 p.m. उसी तरह से हमारे संविधान में राइट टु इन्फारमेशन फ्रीडम आफ द प्रेस की बात भी जोड़ने की है । जिस दिन यह बात जोड़ी जायेगी, संविधान में संशोधन होगा, हम कहेंगे कि हमारी पोलिटिकल डेमोक्रेसी एक कदम आगे हो जायेगी ।

उसके आगे इकनामिक डेमोक्रेसी की बात मैंने उठाई । हेराल्ड लास्की को आपने पढ़ा होगा । पोलिटिकल साइंस के साथ-साथ बहुत बड़े फाऊंड थे । क्रांतिकारी और उग्र विचार दुनियां के नौजवानों को उन्होंने बताये । बेनहाट को भी आपने पढ़ा होगा । इंग्लड के जनतंत्र के बारे में उन्होंने कहा कि यह तो पोलिटिकल डेमोक्रेसी है, इकनामिक डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए फुल डेमोक्रेसी नहीं है । हम लोगों का आधा है, आधा जनतंत्र है, पूरा नहीं है । यही विचार सिडनी और ब्रिटिश वेब के हैं । उन्होंने कहा कि समाजवाद होगा तब जनतंत्र पूरा होगा । यह उनका सोशलिज्म का था । सोशलिज्म इज ए फार्म आफ डेमोक्रेसी । अब उसमें मैं नहीं जाता हूं । लेकिन यह सारा था । यह वहां के संविधान में कमी है, इंग्लैंड के और वही बात अमेरिका में है । वहां भी यह इकनामिक डेमोक्रेसी नहीं है, जो हमारे यहां नहीं है । ये कमियां हैं । जिस दिन हम यह संशोधन करेंगे, ये कमियां हटाएंगे हमारा संविधान, हमारा जनतंत्र एक कदम और आ

बढ़ेगा, जिसको कहते हैं चार चांद लगना हमारे जनतंत्र में, तो ये सब बातें आयेंगी।

उसी तरह से इकनामिक इक्वलिटी। एक और दस की इन्कम की सीलिंग होनी चाहिए। इकनामिक सीलिंग की बात संविधान में हो। उसका भी मेरा संशोधन है। जब कभी बाद में आयेगा तो अपने हिसाब से आयेगा। अभी आमदनी में तफर्क हैं। मान लीजिए आप स्वराज पाल हैं, आपके पास पांच करोड़ हैं। मान लीजिए वह इलेक्शन लड़ता है। अब भारत की जनता को हर एक को वोट देने का अधिकार है। लेकिन पांच करोड़ की फौज लेकर वह पहुंचता है, पैसे की फौज लेकर और एक दूसरा आदमी है उसके पास एक लाख या पचास हजार है, ऐसे में बताइये इस फौज और उस फौज में कोई मुकाबला हो सकता है। देखने में आपको अधिकार है, सबको अधिकार है एक वोट का लेकिन लड़ाई में बटालियनें दो हैं, एक पांच करोड़ की बटालियन है और एक पचास या दस हजार की। तो यह डिस्पैरिटी है। पोलिटिकल डेमोक्रेसी में भी डिस्कोर्पैंसी है। इसको बदलने की जरूरत है। संशोधन करके आपको क्लीयर कट रूप में रख देना होगा मिनिमम मैक्सीमम का फर्क। मिनिमम एक और मैक्सीमम दस या चाहे जो रखिए मैक्सीमम 20 रखिए मिनिमम। यह आपको लाना होगा। यह जब आप करेंगे तब इकनामिक इक्वलिटी समाज में आयेगी। तब वही चुनाव होगा, जनतंत्रीय पद्धति का सिलसिला चलेगा और वह ज्यादा मीनिंगफुल होगा। अभी कहीं-कहीं एक्सेप्शन होता है। मैं जानता हूं मैं खुद एक एक्सेप्शन हूं। 67 के चुनाव में उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ डेढ़ लाख वाला कैंडीडेट था मेरे आगे उसकी गाड़ी, मेरे पीछे उसकी गाड़ी, मेरे दायें उसकी गाड़ी, मेरे बायें उसकी गाड़ी दौड़ती थी और मैं साइकिल पर दौड़ रहा था। मधुबनी में झंझारपुर कांस्टीटुएंसी थी। उसका डेढ़ लाख खत्म और मैं साइकिल से जीत गया ऐसे एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर पैसे की लड़ाई से आपका जनतंत्र या पोलिटिकल डेमोक्रेसी उतनी मतलब वाली नहीं होती है। पूरा उसका मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए इस जनतंत्र के रूप को और उजागर करने के लिए इस पौधे को और खिलाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको इकनामिक इक्वलिटी लानी होगी। ये सब संशोधन लाने होंगे।

फिर अब आपके सेंटर और स्टेट की लड़ाई हो रही है कि किसको कितना पावर हो। एक साधारण सी बात है जिसको हमारे नेता डा० राम मनोहर लोहिया जी ने गला फाड़कर डंडे की चोट पर कहा, फोर पिलर स्टेट...। चौखम्बा राष्ट्र, केन्द्र को भी पावर, राज्य को भी पावर, जिले को भी पावर और पंचायत को भी पावर, सोचा ऐसा चौखम्बा राज्य। पावर का कनसन्ट्रेशन दिल्ली में करते हो। जनतंत्र को एक माने में इरोड करना, वीक करना मैं कह सकता हूं।

अभी क्या है? सारी ताकत आप कनसन्ट्रेट कर रहे हैं और इतना ही नहीं, वह सारी ताकत दिल्ली में कनसन्ट्रेट होकर एक व्यक्ति में कनसन्ट्रेटेड हो रही है—है ना बात। पत्ता भी हिल नहीं सकता है बगैर एक राय के, बगैर एक इशारे के। हरियाणा में कुछ नहीं होता, यदि यहां से सिगनल नहीं दिया जाता। आप जूडिशल इंक्वायरी करवायें—हरियाणा में जो कुछ हुआ है, यहां से ग्रीन सिगनल दिया गया है कि तुम देखते क्या हो। मैं कुछ ज्यादा इनसिनुएशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है

[श्री शिव चन्द्र झा]

कि सारी ताकत एक—तो यह सिलसिला आपकी, हमारी पालिटी में—पोलिटिकल पार्टीज में ठीक नहीं होता है (**समय की घंटी**) इसमें डिवीजन की जरूरत है ।

यह प्राइवेट मेम्बर्ज बिल है । आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन): फिर भी आप जल्दी कीजिए ।

श्री शिव चन्द्र झा: यदि ज्यादा स्पीकर हैं, बता दीजिए । पिछली दफा —आप यहां नहीं थे, मारग्रेट आल्वा ने सेबोटाज कर दिया मेरी डिबेट को, स्कटल कर दिया मेरी डिबेट को, और जब मैं बैठ गया, तो कोई स्पीकर ही नहीं था । मेरी डिबेट खत्म हो गई । सब निकल गये थे । यदि आप महसूस करते हैं, तो मैं बैठ जाता हूं ।

यह प्राइवेट मेम्बर बिल है, आपके लिए हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है । तो, इसलिए इसमें परिवर्तन की जरूरत है जनतंत्र को मीनिंगफुल बनाने के लिए । तो मैं जोर दे रहा था कि संविधान के मुताबिक हमारा जो जनतंत्र है, दुनिया में इंग्लैंड और अमरीका है—समय और दर्शन का तकाजा है कि इनमें भी संशोधन लाएं ताकि यह और मीनिंगफुल हो, जनतंत्र का फ्लावरिंग जिसको कहते हैं, वह हो और उसी में एक प्वाइंट यह भी है—टु इलैक्ट दी जजेज । आप क्यों कहते हैं कि जनता का पार्टिसिपेशन—क्यों हम जनता के प्रतिनिधि दिल्ली में आकर के कानून बनाते हैं, देश को चलाते हैं? यदि हम पोलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं तो क्या जूडिशरी को हमारे जनता के प्रतिनिधि नहीं चला सकते? क्या मेजिस्ट्रेसी को जनता के प्रतिनिधि नहीं चला सकते, क्या पुलिस के विंग को नहीं चला सकते हमारे प्रतिनिधि? आपके सोचने की बात है । हम ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटाइज करें, जनता का इनवाल्वमेंट, पार्टिसिपेशन—यदि डाइरेक्ट हो जाए तो सोने में सुगंध, लेकिन वह बड़े स्केल में आज के समय में सम्भव नहीं है, इसीलिए इनडाइरेक्ट डेमोक्रेसी पर आज हम लोग उतरे हैं । वह जो सेक्ण्ड बैस्ट है । इसीलिए हमारे यह जो विंग है उनको नहीं लेते लेकिन इन विंग्ज को भी हमें डेमोक्रेटाइज करना होगा । कारखानों में वर्कर्ज पार्टिसिपेशन की बात क्यों उठाते हैं? जनता के वर्कर्ज पार्टिसिपेट करें वही बात आ जाती है । इसका मतलब होता है कि आपको जनतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए लाजमी है ।

तो इन सब कमियों को जब हम दूर करेंगे तो उसमें एक कमी यह भी है कि जजेज की जो हमारे यहां चुनने की, बहाल करने की, इप्वाइंटमेंट करने का सिलसिला है, चाहे कितना भी निष्पक्ष हो, मंत्री जी जानते हैं, जस्टिस होम्स ने कहा—इनआर्टिकुलेट मेजर प्रेमिस—कौन ऐसा है जो इनआर्टिकुलेट मेजर प्रेमिस से ऊपर उठा हुआ है? जस्टिस सिडनी ने कहा है—हू इज विदाउट वाइस?

हिन्दुस्तान से मैं उदाहरण दिला दूं—बड़े से बड़े नेता की उदाहरण मैं दे दूं—पर ठीक नहीं होगा अभी । बड़े से बड़े नेता जिनमें हम कहते हैं कि आबजेक्टिव हों, या निष्पक्ष हों, मैं उदाहरण दे दूं । राम में भी—वह बात आ जाती है कि राम भी निष्पक्ष नहीं थे । सुग्रीव राम का दोस्त था । कहा कि पेड़ के नीचे छिप कर के मारो भाई को । सब धर्म, अधर्म चला गया, अपने दोस्त के लिए पेड़ के पीछे छिप कर बाली को मारा । कृष्ण भगवान—आप भी तो कृष्ण भगवान का नाम रखते हैं, उपसभाध्यक्ष जी—कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरुक्षेत्र में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब देखा कि भीष्म

के प्राणों से ये लोग छटपटा रहे हैं तो तुरंत चक्र उठाया, सब नियम-धर्म चला गया । मैं इस बात को रख रहा हूं कि जो कोई दावा करता है कि हम बिलकुल आब्जेक्टिव हैं, हम बिलकुल निष्पक्ष हैं वह सही नहीं है । मानव समाज में कुछ ऐसा है कि कुछ न कुछ गुंजाइश रहती है, बिलकुल निष्पक्ष नहीं हो सकता । इसी लिए कुछ फैसले तो ऐसे होते हैं कि समय बता देता है कि यह फैसला गलत हुआ था । भगत सिंह को जिस जज ने फांसी पर चढ़ाया क्या वह जज निष्पक्ष था ? खुदीराम बोस को जिस जज ने फांसी की सजा दी क्या वह जज न्यायी कहा जायेगा ? खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में कहा है 'ट्रायल्स आफ नेहरू'—मैं पंडित जी को बार-बार पढ़ता हूं, मंत्री जी को तो पंडित जी से मतलब है नहीं, उन का तो सुबह से शाम बीस-सूत्री कार्यक्रम में बीतता है, हमारे बिहार में तो उस को कहते हैं विष-सूत्री कार्यक्रम पंडित जी का जब ट्रायल हो रहा था नाभा में और पटियाला में तो उन्होंने कहा कि क्या फैसला कर रहे हो । कहने का मेरा मतलब है कि बिलकुल निष्पक्ष और आब्जेक्टिव होने की सम्भावना नहीं रहती है । जज निष्पक्ष हों इसलिए उन को जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए ।

आप कहेंगे कि कानून के मुद्दों पर कैसे फैसला करेंगे । अमेरिका में कैसे फैसला करते हैं ? दिलीप सिंह सांड मेथेमेटिक्स का स्टुडेंट था, अलफालफा उगाता था. . .केलिफोर्निया में, सर्किट कोर्ट का जज हुआ, हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव का मेम्बर भी चुना गया । कैसे फैसले होते हैं, कानूनी बातों में इंसाफ होता है या नहीं । जहां कहीं जूरी की व्यवस्था है वहां जूरी में लेमैन जाते हैं या नहीं । मैं जूरी की बात इस लिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे एक दर्शन है और उस पर मैं जोर दे रहा हूं । क्यों उस में साधारण आदमी को लाते हैं ? आप देखिए, रशा में ज्यादातर वर्कर्स आते हैं । तो जो अभी खामियां हैं उन को दूर करने के लिए मैं जजों को इलेक्ट करने की बात रख रहा हूं अपने संविधान-संशोधन में । आप टु-दि-लैटर पकड़ेंगे कि एक जज होगा, जज का क्या होगा, कितने समय के लिए होगा, कैसे होगा । मैं कहता हूं कि आप इस के दर्शन पर जायं कि जज चुने जायं । आप के बिलों में ड्राफ्टिंग रोज गलत रहती है, हम लोग कहते हैं । अगर कोई ऐसी बात है तो आप फारम्युलेट कर लीजिए । लेकिन जजेज चुने जायं यह बात आपके जनतंत्र के रूप को और उजागर करने के लिए है, ब्यूटीफाइ करने के लिए है ।

मैं इतनी दूर तक गया । अब आता हूं कि क्यों हम जज को चुनने की बात करें । लेकिन इस के पीछे क्यों राजनीतिक ढांचे में सेपरेशन आफ पावर की बात उठायी गयी । क्यों आपने नहीं कहा कि प्रधान मंत्री जी ही कानून बनायें, वही उसको एग्जीक्यूट करें और वही उस के बारे में झगड़ों को डिसाइड करें । लेजिस्लटिव, एग्जीक्यूटिव और जूडिशरी को क्यों एक ही व्यक्ति को आप ने नहीं दिया ? क्यों सपरेशन आफ पावर की बात उठी ? दुनिया के इतिहास को सामने रख कर, सारे मानव समाज को सामने रख कर मैं बोल रहा हूं । मांटस्क्यू ने इस बात को सब से पहले उठाया था । जवाहर लाल जी के जन्म के दो सौ साल पहले वह जन्मा था । पंडित जी 1889 में पैदा हुए थे, उस के दो सौ साल पहले वह दुनिया में आया था और उस ने इस बात को साफ शब्दों में कह दिया था । लकिन मानटस्क्यू को समझने के पहले आप थोड़ा थामस हाब्स को भी समझ लें । वह कब हुआ । वह हुआ था 1588 में जिस समय हिन्दुस्तान में अकबर का राज्य था ।

[श्री शिव चन्द्र झा]

उस के बाद लाक हुए । मैं मार्क्स को बात अभी नहीं ले रहा हूं । मार्क्स और लेनिन की बात लूंगा तो सभी धराशायी हो जायेंगे, इसलिए मैं उन के रेफ्रेंस में नहीं जाना चाहता । उस से और ज्यादा झमेले में आप पड़ जायेंगे । लेकिन आप देखें कि हौब्स का दर्शन क्या था । उस का दर्शन था कि मानव सार ही एक दूसरे से युद्ध में भीड़े हुए हैं और इसलिये सारे मानवों ने अपनी रक्षा के लिये किसी थर्ड पावर को अपनी सारी पावर्स डेलीगेट कर दी हैं और उन्होंने उस को ओब्सोल्यूड पावर दे दी । अब जनता को उस पावर में शेयर करने की जरूरत नहीं है जो सिविल वार अमरीका में चली थी वह उस से प्रभावित हुआ था । लाक का दर्शन था कि मानव समाज पीसफुल बाई नेचर है और जनता में सब लोक बराबर हैं, सब को बराबर के अधिकार होने चाहिएं और अगर हुक्मरा कोई गड़बड़ करे तो जनता चाहे तो उस को हटा दे । मैन बाई नेचर इज पीसफूल यह लोक का दर्शन था । मांटेस्क्यू इन दोनों के बीच में है । वह कहता है कि न तो मानव पीसफूल ही है और न ही वह आल अगेंस्ट आल है, लेकिन मानव इनसैक्योर फील कर रहा है और इस लिये वह चाहता है कि हमारी रक्षा हो और किसी सिविल गवर्नमेन्ट की बनावट उस के लिये हो । हमारी आजादी खतरे में है इस के लिये उस ने डिटेल में सेपरेशन आफ पावरे की बात रखी । ला आफ सेपरेशन रखा । 1748 में ला आफ सपरेशन की किताब निकली और उस में मांटेस्क्यू ने क्या कहा ? ठीक उसके ही शब्दों में आप सुन लीजिये । यह क्लासिक है । मान्टेस्क्यू के पहले यह बात किसी ने नहीं कही । प्लेटो के रिपब्लिक में दूसरी बात है । उस के लिये एरिस्ट्राटिल की पालिटिक्स में भी जाने की जरूरत नहीं है । मार्क्स और लनिन को हम लेंगे तो दूसरी लाइन में चलें जायेंगे । मांटेस्क्यू ने जो सेपरेशन आफ पावर की बात रखी उसको ही मैं कोट करना चाहता हूं क्योंकि एक्जीक्यूटिव और जुडिशयरी का सेपरेशन होना ही चाहिये लिबर्टी को मजबूत करने के लिये । यह जनतंत्र की ही बात है । लिबर्टी की रक्षा के लिये इन का सैपरेट होना जरूरी हैं । यह किताब हैं मेरे पास—सेपरेशन आफ एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फक्शन्स बाई आर एल गिलक्रिस्ट । यह कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन हैं 1923 का । यह अंग्रेजी राज में छपा था ।

It is on page 131-132.

"The classic theory of Separation is that of Montesquieu, wliich, because it is rarely quoted in full, I quote:- •

"In every Government there are three sorts of power: the Legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on the civil law.

By virtue of the first, the prince or magistrate, enacts temporary or perpetual laws, and amends or abrogates those that have been already enacted. By the second, he makes peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security, and provides against invasions. By the third, he punishes criminals, or determines the disputes that arise between individuals. The latter we shall call the judiciary power, and the other simply the executive power of the State.

The political liberty of the subject is> a tranquility of mind arising from the opinion each person has of his safety. In order to have this liberty, it is requisite the government be so constituted that one man be not afraid of another.

When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty because apprehensions may arise, lest the same monarch or Senate should enact tyrannical laws to evecute them in a tyrannical manner.

Again there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the Legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control, were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression.

There would be an end of everything were the same man, or the same body, whether of the nobles or of the people, to exercise those three powers, that of enacting laws, that of executing the public resolutions, and of trying the causes of individuals."

सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए इन को तीन भागों में बांटा गया हैं। यह है क्लासिकल थ्योरी मोन्टेस्कू की । लेकिन मोटे तौर पर सिक्योरिटी और सैफ्टी के लिए तीनों का सेपरेशन होना चाहिए । लेकिन एनकरेजमेंट की बात होती हैं । लेकिन यहां तो कमिटेड जज हम बहाल करते हैं । कुमार मंगलम ने अपनी थीसिस रखी, उस पर मैं नहीं जाता हूं । लेकिन इस बारे में ब्लैकस्टोन कहते हैं :

"Blackstone, the English jurist, in a much quoted passage, expresses the theory in these words:—

"Whenever the right of making and enforcing the law is vested in the same man or one and the same body of men, there can be no public liberty. The magistrate may enact tyrannical laws and execute them in a tyrannical manner since he is possessed, in his quality of dispenser of justice, with all the power which he as legislator thinks proper to give himself.

Were it (the judicial power) joined with the legislative, the life, liberty, and property of the subject would be in the hands of arbitrary judges whose decisions would be regulated only by their opinions, and not by any fundamental principles of law, wliich though legislators maw depart from, yet judges are bound to observe. Were it joined with the executive, this union would be an over balance of the Legislative."

यह आपके ब्लैकस्टोन ने कहा हैं । इस तरह से यह बात उठाई गई है । इसके लिये सैपरेशन आफ पावर है, तीनों विंग अलग-अलग होने चाहियें इसीलिये जजों को आप मानते हैं कि सेपरेशन है । लेकिन आप तो यहीं से चाबी घुमाते हैं कि किसको बहाल करना है, कौन यस मैन है, कौन यस मैन नहीं है । इसलिये लॉ कमीशन ने कहा था कि इसको ब्राड बैस्ड बनाओ । चाहे लॉ कुछ भी हो आपका लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि लॉ है क्या ? लॉ लिंग्विस्टिक फ्रेम वर्क है जिसकी बदौलत सोशल आर्गेनिज्म की यूनिटी में, एक एटम का दूसरे एटम से टकराव नहीं हो, उसमें स्टेबिलिटी हो । इट इज लॉ । वह लिंग्विस्टिक फ्रेम वर्क है, हर एटम, हर इंडीविजुअल, हर पार्टी इस तरह से बैलेंस में रहेगी कि एक दूसरे से टकराव न हो । उसकी जो हारमनी है वह मैन्टेन रहे । हमारे यहां इसको क्या कहा गया है. . .

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA (Maharashtra): Sir, I would like to seek a clarification. Only Mr. Shiva Chandra Jha is going to speak, or there are others also?

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I am going to sit down. You will be allowed.

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन्): आप दो-चार मिनट में खत्म करिये ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं खत्म कर रहा हूं। मैं लिग्विस्टिक के बारे में बता रहा था। इनके मन के मुताबिक अथोरिटी को मैं कोट करता हूं। मन के मुताबिक अथोरिटी का मन है। एनाटोले फ्रांस का कौन सा लॉ है। मैं नहीं कहता कि शेक्शपीयर ने लॉ के बारे में क्या कहा। शेक्शपीयर के बारे में आप खुद सोचिये। मैं इनको नहीं रख रहा हूं। एनाटोले फ्रांस ने क्या कहा मैं इस बारे में नहीं बताना चाहता। मैं आपके गुरु मान्टेस्क्यू को कोट कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) : अभी तीन जजेज हैं शंकर प्रसाद मित्रा, बहरुल इस्लाम और श्री जगन्नाथ कौशल।

श्री शिव चन्द्र झा : ये अपना निर्णय देंगे। मैं मांटेस्क्यू को कोट कर रहा हूं :

He opens his first book 'The Spirit of the Laws', with the following paragraph. "Laws in their most general significa-tion are the necessary relations arising from the nature of things. In this sense all beings have their laws; The Deity his laws; the bacterial world its laws the intelligences superior to man their lawc, the beasts their laws, man his laws."

यह कहेगा कि चोरी और डकैती के लिये भी कानून होते हैं। उसके भी लॉ होते हैं। चोरों का गिरोह सक्सेसफुल नहीं हो सकता यदि उसके नार्म्स न हों, उसके अपने लॉ न हों। वह काम ही नहीं कर सकता। उसके क्या लॉ हैं कि वहां से चोरी करो और यहां ले आओ। यहां भी चोरी न करो, वहां भी चोरी न करो। दूसरे के घर से ले आओ। इससे सोशल आर्गेनिज्म कायम रहता है और वह अपना काम कर सकते हैं। मोटे तौर पर लॉ में वही है जो हमारे समाज में कहा गया है, धर्म। धर्म का क्या अर्थ होता है? वह नहीं जो हरियाणा और पंजाब में है। आप संस्कृत पढ़े हुए हैं आपको पता है कि जो सोशल आर्गेनिज्म है, सोशल यूनिटी को पकड़े रहे वही लॉ है। इसका लिटरल मीनिंग यही है। जजों को इलेक्ट करने की बात आई है तो मैंने दर्शन का शुरू में जिक्र किया कि यदि आप जनतंत्र को पसन्द करते हैं। यदि आप जनतंत्र को पसन्द करते हैं तो आप मेरे बिल को भी पसन्द करेंगे। यदि आप इस बिल को पसन्द नहीं करते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप जनतंत्र को पसन्द नहीं करते हैं। मैंने इस संबंध में बुनियादी प्रश्न उठाया है कि आपको इस बिल को क्यों पसन्द करना चाहिए। मैंने अब तक सारी बातें दर्शन की कही हैं। अब मैं कुछ बातें सारांश में कहना चाहता हूं।

आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में कैलीफोर्निया से लेकर सभी राज्यों में इलेक्शन का प्रोसेस है। वहां पर कैलीफोर्निया प्लान सन् 1934 से चला आ रहा है। उसके बाद मिसौरी प्लान 1940 से चल रही है। अमेरिका में 1840 से यह तरीका चल रहा है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : आपने हाफ्ता लोकू की बात तो कही, लेकिन आपने रूसों के संबंध में कुछ नहीं कहा। आपको रूसों के बारे में भी कुछ कहना चाहिए था। (व्यवधान)।

श्री शिव चन्द्र झा : मैंने रूसों को छोड़ दिया क्योंकि इसमें सेपरेशन आफ पावर की बात आ जाती है। आप जानते हैं कि मैन इज बोर्न फ्री, बट ही चेजेन्ज एवरीवेयर। मनु-स्मृति को हमने अपने संविधान में क्यों नहीं माना, यह मैं पूछना चाहता हूं। जो बात मानव समाज के खिलाफ थी उसको हमने संविधान में स्थान नहीं दिया।

हमारे नेताओं ने उन बातों फेंक दिया। उसमें कई ऐसी बातें हैं जो आज के विज्ञान के युग में नहीं चल सकती हैं। मनु-स्मृति और गीता में कहा गया है— चतुर्वर्णय महा श्रेष्टम गुणकर्म विभाग के। इसमें कृष्ण का नाम आया है। हमने सब को समाज माना। जो बात जनतंत्र के प्रतिकूल है उसको हमने अस्वीकार कर दिया। समाज में परिवर्तन होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसीलिए मैंने कैलीफोर्निया और मिसौरी प्लान्स की बात कही है। अब मैं स्विटजरलैंड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) आपको बोलते हुए एक घंटा पांच मिनट हो गये थे। अब मेहरबानी करके अपना भाषण खत्म कीजिये। दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री **शिव चन्द्र झा** : अब मैं कुछ बातें स्विटजरलैण्ड। बारे में कहना चाहता हूं वहां पर आप जानते हैं कि जनतंत्री व्यवस्था है और जजेज का चुनाव होता है इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मैं कोई अजनबी बात नहीं करह रहा हूं। हमारे संविधान में जहां पर खामियां हैं त्रुटियां हैं लेकुनाज है उनको हम ठीक करते आए हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि वन स्टेप इज इनफ फौर मी। वे कहते थे कि एक कदम मेरे लिए काफी है मैंने इसमें कोई बड़ा प्रावधान नहीं किया है। मैंने यह नहीं काहा कि आप सब जजेज का चुनाव कर दें। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें एक नये समाज का निर्माण करना है इसलिए जनतंत्र की जो दृष्टि से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो समाज के नव-निर्माण में बाधक हो। कमिटेड जजेज की बात आ जाती है। यह भी सोचने की बात है कि कमिटेड जजेज क्यों नहीं होने चाहिए। आप नया समाज क्यों नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं कि अंग्रेजी राज फिर से आ जाय वही राजशाही ठीक है। क्या इस तरह का दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं ! दूसरी तरफ यह भी बात आती है क्यों कि हमारा देश जनतांत्रिक देश है इसलिये ज्यादा मत वाला की बात मानी जाय। मंत्री जी आपके लिये यह कोई नई बात नहीं है। आप इसको प्रैस्टिज इश्यू न बनायें। मैं जानता हू कि आप शपथ खाकर आये हैं कि जो कुछ हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे नो। हम जो कुछ भी बोलेंगे आप कहेंगे नो। एक कहानी मुझे याद आती है। एक आदमी था। उसने कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि दो और दो चार होते हैं तो उसको मैं अपनी सारी प्रापर्टी दे दूंगा। उसका लड़क कहते लगा कि आप यह क्या करने जा रहे हैं, इसे तो कोई भी साबित कर देगा। उसने कहा कि वह जो कुछ भी कहेंगे मैं कह दूंगा कि मैं इसको नहीं मानता हू मैं नो कह दूंगा। इसलिये आप शपथ लेकर आये हैं कि यह जो कुछ भी कहेंगे तो मैं कहूंगा नो नहीं। आप बिहार के लाट साहब रहे है आपको लाट साहब का तजुर्बा है। इसलिये मैं चाहता हू कि आप इसको प्रेस्टिज इश्यू न बनायें और अधिक नहीं तो कम से कम इसको जनता के बीच सकुलेट कर दें। इसमें आपका क्या खर्चा लगता है। इस बारे में आप जनत की राय ले लीजिये कि जनता क्या कहती है। इसको सारे देश में जाते दीजिये और यही इसके लिये उचित होगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो इस पर कोई अमल नहीं हो सकता है। इसलिये कम से कम इसको सर्कुलेट तो कर दें। मैं चाहता कि सारे जजेज जो है इसको इलेक्टिव बनाने के लिये

[श्री शिव चन्द्र झा]

कोशिश की जाये । इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि आज जनतंत्र का तकाजा है, हमारा संविधान का तकाजा है, हमारे इतिहास का तकाजा है कि जूडीशियरी को आप इलेक्टिव बनायें । धन्यवाद ।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA *(West* Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, our esteemed and hon'ble friend, Mr. Shiva Chandra Jha is a great scholar of history and political science ...

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: And Philosophy.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): History literature and political science.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: In his learned speech, he has referred to Blackstone, Hobbes, Locke, Bagehot, Montesquien, Shakespeare and Anatole France.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Edmund Burke also.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: I did not hear that.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: No, ne referred to him and his reflections on French Revolution.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: He referred to Mr. Makwana also.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: He is a great believer in democracy. I can well appreciate the spirit behind his moving this Constitutional Amendment and I have no doubt what he says in his Statement of Objects and Reasons, he really means.

His main purpose is to see that some form of democracy is introduced in the appointment of Judges in our country, although, to start within a limited way, as suggested by him in this Bill. Because of his profound scholarship, he is naturally prone sometimes to think of an ideal state of affairs which may or should come into existence, say, 50 years or IOO years hence. We have to appreciate the state of affairs that exist today.

Mr. Jha is opposed to the appointment of committed Judges. I fully support that contention, but it is a different proposition altogether for which a separate debate may be necessary. I am sure, he would agree that we all went in this country an independent judiciary, an impartial judiciary and a competent judiciary. Against the background of independence, impartiality and competence we have to analyse the system that now exists in our country.

Now, this Bill is restricted to District Judges. How are District Judges appointed. There may be, slight variations from State to State but, by and large, two-thirds of the Disrict Judges are promotees from the posts of Subordinate Judges or Civil Judges, as they are called in some parts of the country, and about one-third of the District Judges are direct recruits. Direct recruits are those who have put in at least seven years of practice either as an Advocate or as a Pleader. When direct recruits are appointed, advertisements are issued in newspapers, applications are invited, eligible candidates are interviewed by a Board of at least three High Court Judges and the most eligible amongst them are recommended by High Court for appointment. Therefore, j„n the present system both in the case of promotees and in the case of direct recruits, there is a scope for judging the merit of the person who is being appointed as a District Judge. If we try to disturb this system at the present moment, the result, in my respectful submission, would be disastrous. Mr Jha, in his long speech, has referred to money power in elections—the havoc money power is creating in elections, etc., etc., If we adopt this amendment proposed by him, what is going to happen? Worthless lawyers, unsuccessful lawyers, will offer themselves as candidates and if they have money power plus party power behind them, they would get elected by the electorate, whatever that electorate may be.

This is a state of affairs which in our country at the moment, in my opinion, should be avoided. There is one other infirmity in the amendment he has suggested. He wants the District Judge to be elected by graduates of any university in the territory of India who are residing

in. that district. That means, graduates residing in one district would elect a District Judge. But the post of District Judge in our country today is a transferable post. You can be a District Judge only for a specified period, and thereafter you are transferred to some other district. And in this way you go on acquiring experience throughout your judicial career till you are given either higher judicial appointment or are recruited as a High Court Judge, Therefore, a District Judge who has to move from district to district, who is bound to be transferred from district to district, cannot be elected by the graduates of one district alone.

The hon. Mover of this Bill has spoken about the United States, Switzerland and certain other countries. I do not know about Switzerland or other countries, but, so far as the United States of America is concerned, I know the position. Mr. Jha referred to some of his own experiences relating to California. But i know of the, experience of lawyers in the United States, pratically throughout the country because I had opportunities of moving in that country from one end to the other. A vast majority of lawyers in the United States of America who practise in the State courts are of lawyers in the United States of America who practise in the State courts are of opinion that this system of elected judges is not at all working well in that country. They had expressed that opinion unequivocally and unhesitatingly to me in 1958 when I had occasion to go into this matter in great details. Of course, in the United States, with regard to the elected judges, practically no qualifications are prescribed. Anybody can be elected, anybody can offer himself for election, and the election takes place along with the General Election for the Legislature on the basis of adult franchise.

Mr. Jha has taken care to say that the person who should be elected should have a minimum qualification and that the electorate should also be a restricted elect- . orate. But minimum qualification and restricted electorate would not improve matters further. And the experience of th* United States, we cannot say, would n«rt be repealed in this country if we adopt this kind of an amendment. We are believers in democracy. We all believe in democracy. But in introducing democratic practices or systems, we have *to move* with caution also. Judiciary has its own specialities, it has its own special standing, and it has certain assigned duties to be performed to settle disputes either between goverriment and a private citizen or between private citizens themselves. Therefore, to my mind, the existing system of recruitment of District Judges appears to bo satisfactory, and any change that may be thought of should be studied with great care and circumspection before a new venture can be entered upon. I, therefore, respectfully request my esteemed friend to withdraw this Bill.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Sir, "Democracy, with all your defects, I love thee," has been the statement of a political philosopher who, after analysing different forms of government, has said, "Well, democracy, inspite of so many loopholes and defects and lapses, ..

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): There is no such surgery, medicine.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Yes, surgery everywhere. I am coming to psychopathy. Do not worry. So, he said, for mankind, democracy was the best form. The body politic has undergone evolutions in different countries in different ages, and possibly we have come to this most beloved form of government, the state of democracy.

But the judiciary happens to be the most important pillar of this edifice because governments do come and governments do go and parties appear and parties disappear, the people who form the fountain head of power snore for a term and just push one party to forefront and it again disappears, but who looks after their interests? Their real interests lie actually in judiciary whenever such urgency does arise. Well, if any defect lies in this most important pillar, if the edifice is not safe because ants start eating away in a secret manner somewhere, due to negligence, this important pillar of the edifice, that edifice is deemed one day.

[Shri Harekrushna Mallick]

So, before the doomsday comes for democracy, it is time that my hon. friend has ventured to bring this Bill. Before the hon. Chair rings the bell, here is another bell for body politic. And I hope and trust that the hon. Minister should take note of it. It is not for a party interest or for our interest, but for the interest of the future about which we are worried indeed. And this House is called the House of Elders. -

Therefore, whatever we articulate mutt be such, must be in that sense and in that temper, that our generations to come are guarded against any error or any lapse or any defector any danger, Therefore, it ts time that we should wake up and set their minds towards this arena which has been left out, ignored so far. Well, this House is really proud to be ornate with three judges. . .

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Mr. Mallick, don't speak about the House. Speak about yourself.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: When I speak, the House speaks. Don't worry. So we are really proud to have three eminent judges in our midst today, Justics Mitra, Justice Baharul Islam and our present hon Law Minister. I am no' actually saying anything against any judge or judiciary or any particular interests. But the question is. We should try for something better. They have been good. All right, we are happy. But why not look for something better? That is my point. Mankind is progressing. There is evolution constantly, both horizontally and also vertically. Therefore, this democracy is to be made safe and secure. That is our concern and hence this is a very important thing that has come now. I shall give only some small examples. We address the Chair here as "Sir or "Hon'ble Chairman or "Honble Deputy Chairman" or "Hon'ble Vice-Chairman". In a court of law, the people address the judge as "My Lord". Now, of course, "Mr. Judge" and all that is coming. Things are coming up in a different style now In our language the address is "D'narmavatar", meaning "Dharma" in carnale. Whal is Dharma"? The concept of "Dharma" and "Paap" has guided mankind so far in this Iand. You yourself are sitting in that Chair in the background of which is a balance hanging without any zero error. But I see there is a slight tilt towards the other side. *(Interruptions),* It is a fact. You can see, there is a slight tilt in the picture I don't know whether your eyes are right or wrong, but you can see- Anyway the moment somebody adresses as "Dharmavatur", it means that whatever he is getting, punishment or no punishment, is coming from "Dharma". that is, from Heaven. That has been the concept all these days. But when judges make a mistake, a slight zero error means that somebody 's head is of. Of course, quite often the Hon'ble Judges give the benefit of doubt to the accused, and in that loophole, a lot of miscreants escape. Recently how long should be the rope for hanging was being debated. And after so many decades and centuries, some learned judges have realised that the process of hanging is painful. Well, it is something strange. Anyway when judges do it, who can question it? There is a saying in Oriya that there is no step-ladder to Heaven and no rebuff to a big person. But I have to give "a small example here. Onccin a court when arguments were going on, a learned advocate said that so-and-so was drunk like a judge. Immediately the learned judge said. "No, you better say that so-and-so was drunk like a lord". Immediately the lawyer said, "Yes, My Lord".

Now in the country which claims to be mother of Parliaments, there is a House of Lords an lordship is going by lineage. Nobod) comes up to qualify himself or herself to be a lord or a Lady. It goes by birth. Now. I am a doctor and my son can be a doctor only when he goes to a medical college and obtains a degree. Similarly the son or daughter of our hon. Law Ministei can become a Law Minister without a law degree but to become a lawyer, he or she has to have a law degree. Similarly to become a judge, one has to be basically a lawyer". Tf you look and behold in the States, particularly in the State Capitals where the High Courls

are situated, what do you find? You Will find a few families carrying on law as their family hade and 4 P. us such, judges beget judges and those judges in their turn beget judges. If you computerise the whole thing, ultimately it becomes so agonising that the real spring of democracy Ires jn the hands of a few, and it becomes a democracy not for the people by the people of the people as defined by Lincoln bat a democracy for a few people, by a few people, of a few people. It is a total contradiction of the very concept of the greatest good for the greatest number as the essence of democracy. We have to see wherever the loopholes exist. How to enemies come in? Only through loopholes. Enemies do not enter through the front gate because then they can be apprehended. They come in disguise. So they come through loopholes. Look at the different judges in our history, how their names have come through loopholes. Never face to face. Whoever has come face to face has been defeated and mauled. So we have to seal these loopholes. As our Justice Member of the House said in regard to the procedure of selecting District Judges, I agree and I I commend the procedure. Every appointment is made in the name of the Governor 11" ihe Mate, never by the order of* the Chief Justice of that State. And what is a Governor? Governor is some thing having no hands, no legs, no mouth, no eyes, no ears, but all powers are there. How? Because the cabinet functions. The cabinet function s an the Governor acts on the advice of the cabinet, at the Centre as well as at the State. Therefore, the net result is in the States it is the Chief Minister who is all-powerful and who appoints district judges. Ten persons will be selected for the panel but five out of them are knocked out. I cite the case of a learned advocate who has now become mature enough to be a High Court Judge by virtue of practice and integrity—one Dharnidhar Rai of Cuttack. He was on the panel of district Judges. Because party in power at that time was not in favour of him, because it was not conducive to his party affiliations, he was knocked out. Had he been appointed a district judge at that time, to-day he might have been a High Court Judge somewhere in this country, That is one example.

I give you another example of how our judiciary functions. There was a tax case of Ramgarh Raja of Bihar—his wealth tax assessment. The case rolled on for 16 years during which period all the wealth was consumed and enjoyed and the Government ultimately got nothing out of it. The Raja died and the case was closed. I give you another small instance. I, as a Member of Rajya Sabha, was allotted 25 Ashoka Road. There was some unauthorised occupation in some corner. Now a case is going on. Even when 1 was suffering from Dengue fever on 16th December I came running to give evidence lest I should be accused of absence. 1 wonder how many times the opposite party was taking time and how Justice delayed is justice denied is well and amply established here. I wonder whether the records of this House will bear me out and 1 request the hon'ble Law Minister to see who is the prime judge there and who are the parties and how this ib going on here right under the nose of the Law Ministry and the Government in Delhi affecting a Member of Parliament.

I give you another instance of a sister Member here—Mrs. Sathyawani Muthu. Her house was occupied by some miscreants in her absence the entire house was occupied. When she returned do you know how she had to make her way through to the bedroom and toilet. Her cooking was done in the verandah. Somehow through the intervention of some Members from Tamil Nadu all these unauthorised occupants and their families ran away with all their things.

I think my other sister-Members will make a note of this. This is what is going on here.

Now I will tell you how the Executive functions. There are Estate Officers in different States. They have power to make allotment of houses or lands. These powers are vested in them and on their signatures this is being done. Members of Parliament also apply for allotment of a

[Shri Harekrushna Mallick]

piece of land. But in Orissa the Chief Minister motivates the Estate Officer with political intentions and the Estate Officer sleeps over the file dealing with, our requests for allotment of land. But the Chief Minister's party members have got the land allotted. But the Estate Officer sleeps over our file. He knows that on the 2nd April we will retire and after that ' our letters can be thrown into waste-paper baskets. So, it is a political executive which functions there.

The judiciary also functions in this way. That 's why I want everybody from the Postmaster above to be elected as in America. Let *ihs,* Judges be elected. Ours is the only democracy where we allow these people to perpetuate their caste or group interests sitting in their offices. Their moto is: Let our sons become rich; let our sons-in-law become rich_

Considering all these, I support my friend's Bill. My Judge Member of the House pointed out some lacuna when the question of transfer of these elected Judges comes up. Where is the question of transfer? There is no question of headache when there is no head. We are elected for five years. When that is the case, why not they also be elected for five years? In our case, when there is a President like Mr. Reddy, he knocks down the lx,lc Sabha even earlier. People who had come to attend the Lok Sabha had gone back. Of course, there is no power to dissolve this House also. There is every necessity to dissolve this House also. There was a proposal to impeach or bring forward an impeachment motion against Mr# Reddy, because such a man can knock down every-thirig in this country. He never knew what was going to happen. He had a colourful dream. But when the result came out differently and when Reddy saw a lady there, things changed. That is by the way.

I was speaking about judiciary. The entire judiciary is meant for the rich. Courts are maintained for the rich, as Marshall or somebody else had said. If they are meant for the poor, there would be no court fees. That is why I say that they are not meant for the poor. The Chief Minister of Andhra Pradesh said: Let us abolish land revenue. In Orissa we abolished if for some time. Will the Hon'ble Law Minister see to it that at least the court fees are abolished? I am really happy to see that the Supreme Court has created new history by introducing the system of *initio publico.* Under this some of the writ petitions without court fees were taken up. In the case of a Nari Niketan the Supreme Court found out that the inmates were not getting even cotton and gauz. Somebody raised the question: Are the Supreme Court Judges meant to provide pads and cotton to women? The Judges said, Yes; it is a basic necessity for the women'. When these basic requirements are not given, to the women, the Supreme-Court is there to provide them.

There are many people coming under the category of migrant labour, Such poor people can now move the courts of law under the system of *Initio publico.* This system makes courts accessible to the poor and this provides the maximum or greatest good for the greatest number.

I was referring to transfer of elected Judges. When we are elected only for five years why not the Judges be elected for five years?

Not only five years. But, whenever the question of transfer of the judges arises, it should be either once in five years or till five judgments are delivered in the upper court so that they commit no mistakes. Therefore Sir, I support this and I say with all the emphasis that not only at the district level courts, but also in the High Courts and in the Supreme Court the Judges must be elected and elected in a sensible manner. They **should** be elected not only from among the graduates and others but also from others, even from among the litigations. I say this because a person today is a rogi and he becomes almost like a doctor later on and a litigant today also comes to know the legal process. Today, a person who ts a litigant and who is going to the court also

the judge functions and how the court functions and he knows all these things. Two persons were arguing in a court. A small person was arguing and there was another lawyer with a good personality. He was arguing on the opposite side. Suddenly, the other lawyer started saying "My Lord." My Lord", and he started saying this only to create confusion there. The other lawyer said: "Sir, why is this man saying like this? This small man can put in my pocket.". I immediately, the other lawyer very quietly said, "My Lord, in that case my learned colleague will carry all the wit in his pocket than what he carries in his head", So, this is how things happen in the courts. Well my friend has quoted Shakespeare. He was a writer and he has written much indelibly for mankind to follow. He has said: "All the word is a stage.". So this House, the courts, the judiciary, all these things, the lanes and by-lanes of Delhi, are all stages and, therefore, every man, everybody, is acting in some role or the other. Now, people go to see some shows and to see some people acting. Why should not I say that it is not the people on the stage only who are actors, but the people who go to see the shows also act in some role? You see how the people are crazy to clap the actors and you see how they are crazy when they see the actors dance or play some romantic role. Thg House knows all this. Therefore what I say is that everybody is an actor and is acting in some role or the other. So, it is time that we came to our senses before it too late, before casteism, communalism, and other isms' take over and our judiciary is reformed. It is not enough if we apply insectisides and things like that. Judiciary is one of the pillars of democracy and we should, therefore, see that every building-block is so built that the pillar is strong and intract and nothing can damage it or make it decay. Once that pillar is ready and steady, well, we can say that the other pillars will automatically become stronger. I say this because we also go to the courts of law in our election cases. So, ultimately, it becomes the court really though another court is the people's court which works only when the election bell rings. So, the people have to be very vigilant an eternal vigilance is the price of liberty. This is true more in courts because in a court of law, a little tilt this way or that, a little oscillation, will destroy the whole thing and the whole thing goes. You see, in the famous case, one Judge came to give a verdict in the Allahabad High Court, and, immediately, quickly, another Judge came and gave the judgement in the higher court that the person concerned could attend the House, but could not vote; This was there till the people's court rose and gave the verdict in 1977. J am not ventilating any grievance or saying anything in a spirit of vendetta against anybody. But the question is how the verdicts change. In Pakistan, nobody liked Bhutto to be hanged. Nobody wanted it. You see the whole world said: "Don't hang him. After all it is only a political act". But he was hanged. But, immediately, his daughter has come on the scene. In no time she has come and in no time there will be change of government in Pakistan. And what will happen to their present head of State? There will be no necessity for hanging him because he will himself go away. What I say is that things change with time. You see, Bhagat Singh was a traitor in the eyes of the Britishers, but in our eyes he is a national hero.

Gandhiji was the Father of the Nation. But he was a criminal in the eyes of the English. They gave a judgement which is recorded in the Ahmedabad Circuit House. It should not be a Circuit House, but it should be a monument for the motion. Similarly, time changes and attitude changes. History comes in different chapters. Every moment history will be made. History makes many people. Very few people make history. Therefore I just throw a challenge to our honourable Law Minister, to create history, to come up as one man who can create history.

With these few words, I support the Bill that has been piloted by my learned colleague, honourable Jha. Thank you.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, the objectives put forth by Mr. Shiva Chandra Jha in his Bill are, in my opinion, emanating from two considerations. One,

[Shri Ghulam Rasool Matto]
the present system of selection of Judges, whether they are High Court Judges or they are Sessions Judges, is no good and is not working well.

Two, the demoralisation process that he thinks of is that the Judges should also be selected as they are being elected in California or in Switzerland or in Russia. So far as the first point is concerned, I would**request the hon. Law Minister to be frank in this House and tell us that the present system is definitely not working well. I have to quote to him an instance that appeared in the newspapers only the day before yesterday. Shri B. K. Nehru. Governor of Jammu and Kashmir, went on leave for 11 days to England. Justice Khalid was sworn in as an Acting Governor. Somebody has come out wtn- a writ petition in the High Court that Ihe High Court as at present constituted is not legally valid, because under the Jammu and Kashmir constitution thg minimum number of High Court Judges should be three, and if Justice Khalid workers as an Acting Governor there are only two Judges left in the Jammu and Kashmir High Court and hence this High Court is not validly constituted, and any decision of this High Court is not valid. That case is *sub judice,* but I am inclined to agree to the argument advanced in this case.

Mr. Vice-Chairman, why has this happened'? This has happened because of the long, long delay being taken by the Government in filling the vacancies of Judges. If ihe Jammu and Kashmir High Court has five or six Judges vacancies and they have not been filled up in two years, and ihe number of Judges in other parts ol' the country perhaps runs into a hundred, how j_s thi_s system going to work. We should ponder over it that if ihe present system of ours is not working satisfactorily, what are we going to do? Justice Mitra has mentioned about the District Judges I again give the instance of Kashmir. Now, here according to the Constitution the District Judges are to be appointed by the Governor in Consultation with the High Court. Certain Subordinate Judges; went into a writ petit?on in Jammu and Kashmir High Court also that being senior Judges they are eligible for this.

I So, this frustration is there throughout the country that the present system is not working well. If this system is not working i well, then^ to my mind, the Law Minister should come out with a concrete proposal before this House. 1 know our worthy Law Minister very well. He is one of the stalwarts of freedom and one of the greatest jurists. Within his heart of hearts, he also feels that the situation as at present obtaining is not satisfactory. 1 would request him that he must muster courage and come out and say that the present system of selection of Judges of the High Courts or of the Supreme Court or of the District Courts is not satisfactory. Then what is the solution for it? Perhaps, the amendment of Shri Shiva Chandra Jha comes out of this frustration. I must say with all the emphasis at my command that if satisfactory reforms are not made in our judicial system, then anything is better than that. If the Law Minister is not coming out with a suggestion, then I am inclined to agree to Mr. Shiva Chandra Jha's Bill. This is a lesser evil then the evil in which we are at present. 1 would, therefore, request the Government to come out with comprehensive reforms. While there arc lacunae in Mr. Shiv Chandra Jha's Bill. as pointed out by Mr. Mitra, I would request the Government either to come out with a comprehensive reform in the judicial system or accept the amendments of Mr. Shiva Chandra Jha. In his Bill, Mr. Shiva Chandra Jha has stated that the electoral college should be confined to graduates. This is not satisfactory becaus it will be a limited electorate. *It* he enlarges this electoral college to include the Judges of the Courts and the advocate* of the entire State, I can agree to that proposal. I will reserve my support to his suggestion until I get the reaction of the Government with regard to the observations made by him

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे झा साहब के विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय

झा साहब की मंशा का समर्थन करता हूं। जिस भावना से उन्होंने इस बिल को पेश किया है वह बड़ी ही उत्तम भावना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायपालिका प्रतिबद्ध नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज न्यायपालिका प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध इस मामले में कि जब कभी भी सम्पत्ति का मामला आता है, सम्पत्ति के मौलिक अधिकार का मामला आता है तो हमारी जूडीशियरी इसके पक्ष में अपना मत देती है। उदाहरण के तौर पर बिहार का जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट जो था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश में 1937 की कांग्रेस सरकार ने काश्तकारी कानून बनाया था, उसमें धारा 171, 175 और 180, इसलिये बनाई गई थी ताकि किसानों के हकों की रक्षा हो और किसानों को जमींदार बेदखल न कर दें। लेकिन हमारी ज्यूडिशियरी ने उसका मतलब उल्टा कर के ऐसा कर दिया, ऐसी व्याख्या कर दी कि वही कानून किसानों को बेदखल करने लगे। तो जहां-जहां सम्पत्ति का मामला आता है निश्चित रूप से हमारी ज्यूडिशियरी प्रतिबद्ध है और जब नागरिक अधिकारों का मामला आता है तो वह उनके पक्ष में ही फैसले देती है। इतना ही नहीं अब तो अदालत ने यह भी फैसला कर दिया है कि किसी भी आदेश को पीछे की तारीख में बदला जा सकता है और वह आदेश मान्य होगा। एक तरह से हमारी न्यायपालिका प्रतिबद्ध तो है ही उसके विचार निहित स्वार्थों के हैं। माननीय झा साहब की मंशा यह है कि जो संसद् या विधान मण्डल कानून पास करते हैं उनकी मंशा के विपरीत भी कभी कभी अदालतों के द्वारा फैसले हो जाते हैं। अगर निर्वाचित जज रहेंगे तो अपने निर्वाचक मण्डल का आदर करके उसके मुताबिक वह प्रतिबद्धता दिखाएंगे ऐसा मैं समझता हूं कि झा साहब की मंशा है। अगर न्यायपालिका प्रतिबद्ध न हो तो सबसे अच्छी बात है लेकिन न्यायपालिका प्रतिबद्ध तो आज भी है। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं मैं अपनी मोटी बुद्धि से जो कानून का अर्थ भोगता हूं वह कह रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में घर से पकड़ कर के आंख पर पट्टी बान्ध कर के पेड़ से बान्ध कर कम से कम पांच हजार लोगों को पुलिस की गोली से उड़ा दिया। कोई कानून है? सरकार जांच कराती है। जजों को अगर यह पावर होती कि वे स्वयं स्वतंत्र रूप से इसकी जांच करा देते तो मैं समझता हूं कि तीन चौथाई थानेदार आज मुलजिम बन कर खड़े होते। लेकिन यह नहीं हुआ। अभी 30-31 की रात में भटनी थाने के गोपालपुर गांव के सुरेश गोंड नाम के एक आदमी को पकड़ कर के जिला देवरिया में जी० आर० पी० ने थाना लारकाना में दे दिया और ठुमरी गांव में शीशम के पेड़ में बांध कर के उसकी हत्या कर दी गई। मैंने सबको चिट्ठी लिखी, अखबारों में बयान भी दिया। मैं नहीं समझता कि मैं उसको कहां उठाऊं क्योंकि यह कहावत है कि चोर-चोर मौसेरे भाई। जितने जांच अधिकारी हैं वे सब मिल कर के पुलिस ने जो किया सब ठीक किया यह रिपोर्ट दे देते हैं और पुलिस का मनोबल न गिरने पाए इसलिए सरकार उसके हर कुकर्म का समर्थन करती है। रिपोर्ट भी उन्हीं लोगों से आप मांगते हैं। तो क्या ज्यूडिशियरी को इस तरह की पावर नहीं दी जा सकती है कि ऐसे मामलों में जिसमें मनुष्य का जीवन ले नहीं सकते, दुनिया का कोई कानून नहीं है बिना अदालत के फैसले के उसको लिया जाए और अगर कोई इस तरह का काम करता है चाहे सरकार हो या फिर अदालत हो जज को

यह अधिकार मिलना चाहिये कि इस तरह के मामलों को वे स्वतंत्र रूप से जांच कर के उस पर मुकदमा कायम कर सके।

[श्री रामनरेश कुशवाहा]

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। कि आज गुण्डों, संतो और महन्तों की छाया भी ज्यूडिशियरी पर पड़ी है। भाई कल्पनाथ राय जी जानते हैं हमारे जिले में एक साधु बाबा है देवराहा बाबा, प्रधान मंत्री भी उनके चरण छूती है और शायद सभी दलों के नेता उनका चरणोदक लेने के लिए जाते हैं और अगर घंटों सिर उनके पैर पर रखा जाए तो बड़ा अहोभाग्य मानते हैं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : राम नरेश जी ने जो बात कही वह गलत है।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मैंने कैसे गलत कहा ? क्या आप नाम रखवाना चाहते हैं कि कौन-कौन नेता उनके पैर पर सिर रखते हैं ? क्या यह सही नहीं है कि देवराहा बाबा अफसरों से गलत काम करवाते हैं इस प्रभाव के कारण कि प्रधान मंत्री भी जाती हैं और विरोधी दलों के नेता भी जाते हैं। इसलिए किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ कर सके और वे ज्यूडिशियरी पर भी प्रभाव डालते हैं। आज देवरिया में हालत यह है कि कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले सी० जे० एम० की कोर्ट में जा कर के मां बहिन की गाली दी, वकीलों ने जलूस बना कर के मारने-पीटने की धमकी दी और किसी तरह से मामला बचा। और उस मुल्जिम को भगाकर लेकर चले गये, जब जिला जज के यहां गये तो उसने खड़े-खड़े जमानत कर दी, भगाए हुए को। इतना ही नहीं अभी 21 तारीख को देवरिया में जज को वकील ने पीटा है और आज देवरिया जिले में जजों की हड़ताल चल रही है इसलिए कि वे कहते हैं कि हम यह काम नहीं कर सकते, इस प्रेशर में और गुंडों के दबाव में। तो मान्यवर, कोई ऐसा उपाय आप करेंगे कि हमारी ज्युडीशियरी पर भी साधुओं, महात्माओं तथा गुंडों की छाया न पड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज चारों ओर अराजकता की स्थिति है। न्याय इतना महंगा है कि हम न्याय किसी को दे नहीं सकते हैं। छोटे से छोटे मामले में अगर आप अदालत में चले जायें तो पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे। जैसे जमीन के झगड़े में लड़ने के लिए अदालत में चले जायें तो जिंदगी भर में इसका फैसला होगा कि नहीं इसका ठिकाना नहीं है। आखिर यह सब कैसे चलेगा। आप सस्ते न्याय की और गरीबों को न्याय देने की बात करते हैं; मैं ऐसा समझता हूं कि कोई ऐसा अधिकरण बनाना चाहिए और परमानेंट नहीं बनाना चाहिए। हर मुकदमे में अगर जरूरत समझें और सहमत हों तो दोनों पक्षों से एग्रीड तीन या पांच पंच ले लें और उनका फैसला अदालत का फैसला माना जाये। वे जल्दी करेंगे, मौके पर जाकर जांच करके कर लेंगे। वे दोनों पक्षों के विश्वासपात्र होंगे, सही चीजों की जानकारी करेंगे, वे लोकल होंगे। ऐसे पंच काफी हैं। अभी भी हर जगह निष्पक्ष लोग हैं। लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है। आज तिकड़म की वजह से, डर के मारे और चाहे जैसे निष्पक्ष लोगों को, भले लोगों को लोग बेवकूफ और गंवार करके छोड़ देते हैं। आज ऐसा नहीं है कि देश शून्य है ईमानदार लोगों से, ईमानदार कर्मचारियों से या कर्मठ लोगों से, लेकिन उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्या ? और अगर कर सकें, न्याय को जल्दी से जल्दी (**समय की घंटी**) दिलाने की व्यवस्था कर सकें तो बड़ा ही उत्तम होगा। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जजों के चुनाव के मामले में बहुत साफ

तो नहीं हूं कि चुनाव होगा तो ठीक हो जायेगा क्योंकि फिर पार्टियों की तरफ से जजों का फैसला होने लगेगा और जज भी राजनैतिक व्यक्ति हो जायेंगे। लेकिन यह भी सही है कि आज की जो प्रतिबद्ध ज्यूडीशियरी है, जो निहित स्वार्थों के प्रति प्रतिबद्ध है उसको जनहित में मोड़ने का कोई उपाय नहीं है और अगर उपाय कोई कर सकें—जो हमारे माननीय कानून मंत्री जी हैं जो विद्वान भी हैं, कानून के विशेषज्ञ भी हैं, लार्ड साहब भी रहे हैं, अब मंत्री भी हैं, हर प्रकार के अनुभव उनको हैं—अगर वे अपने संविधान की मंशा के अनुकूल अपने कानूनों की मंशा के अनुकूल, अपनी मंशा के अनुकूल, अपने समाजवाद और देश के नवनिर्माण के अनुकूल जजों की प्रतिबद्धता कर सकें तो उत्तम होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हाइकोर्ट के जजों का ट्रांसफर जो आपने शुरू किया है वह शायद दल के प्रति प्रतिबद्धता बनाने के लिए किया है कि उनके ऊपर तलवार लटकती रहे कि ट्रांसफर कर देंगे अगर सरकार के खिलाफ कोई फैसला करेंगे। तो इस तरह का काम ज्यूडीशियरी को ध्वंस करने का ही काम है उसके निर्माण का काम नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि (समय की घंटी) आप ईमानदारी के साथ ज्यूडीशियरी का जनहित में दिमाग रखने के लिए ऐसे उपाय करें कि जल्द से जल्द न्याय भी मिले और ज्यूडीशियरी पर कलंक भी न लगे और जो गुंडों का, साधुओं का दबाव पड़ रहा है इसको रोकने का प्रबंध करें नहीं तो मान्यवर जो हमें शेडोज की जरूरत पड़ जाती है, गुंडे मारने के लिए आ जाते हैं, मंत्रियों को, जिनको कि लोग वोट देकर गले में विजय का हार डाल देते हैं, उनको पड़ जाती है तो जो फांसी की सजा देते हैं उनको क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी। अभी तक उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? इसलिए कि सबका यह विश्वास था कि जज ईमानदार होता है और जो फैसला देता है वह ईमानदारी से देता है। लेकिन आज हालत बदल रही है और यह हालत बदल रही है हमारे राजनीतिक दोष के कारण हमारे समाज के दोष के कारण हमारे आचरण के कारण। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यूडीशियरी की रक्षा के लिए और उसको जनहित की मंशा के अनुकूल बनाने के लिए माननीय कानून मंत्री जी को निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठाने चाहिएं। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। जयहिंद।

SHRI J P. GOYAL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chariman, I do not agree with this Bill. In fact, to my mind, Article 233 with regard to appointment of district judges, need not be altered. In our country, Ihe sub-judges an munsifs are recruited through competition. Thereafter, there is promotion and they become civil judges, additional district judges and district judges. Article 233 says: "Appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State". So, rules have been framed regarding the appointment of judges, as to what should be their qualification, or that the person should be an advocate of not less than 7 years' standing and all that. Now, Mr. Jha, by his Bill amending Article 233, wants a proviso to be added that at least one such judge

[Shri J. P. Goyal] in each district should be elected and the electoral college should consist of persons residing in that State who should be graduates of any university etc. I would submit thai if an election of a judge takes place, then the person who is a candidate in that election, will also solicit votes of the graduates in that State and if he becomes a judge in that district, the graduates of that area also belong to that State and thus that judge will be approachable just like we Members of Parliament are approachable by our electorate. I feel that judiciary should be free from Ihe field of political activity. Of course in America, as it has been said in the Statement of objects and Reasons, in California some judges are elected; but in England this is not the position and I don't think in any other Commonwealth country that is the position. Judges are appointed by the Government, but in consultation with the High Court concerned and generally it has been seen that Government does not have a say over whatever names are suggested by thg High Courts. I have also introduced a Private Member's Bill which has not so far come before the House. As regards lower judiciary, as 1 have said, their appointments are by com-' petition. The trouble is regarding higher judiciary, the High Courts and Supreme Court judges. I disagree with the Government with regard to Article 74 of the Constitution. This Article 74 says that President shall act on the advice of the Council of Ministers; it means in the executive functions the President shall act, but not in the appointment of judiciary, the High Court judges and the Supreme Court judges. The relevant provision of the Constitution says that ihe Chief Justices and the Judges of the High Courts and Supreme Court shall be appointed by Ihe President in Consultation with the Chief Justice of India. Where does the Home Minister or the Law Minister of the Government of India come in'.' I may inform the House here that I was present in a meeting when the foundation stone of the Law Institute building was laid by Dr. Rajendra Prasad the then President of India and the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru was also there, Mr. Setalvad, the then Attorney General was also their ami all the Judges and Chief Justices were there, Dr. Rajendra Prasad said: 1 would ask the lawyers to study the Constitution thoroughly and find out what ihe powers are of the President under the Constitution, So. I would submit, that power of our President under the Constitution with regard to appointment of High Court and (Supreme Gourt judged and Chief Justices is there; the file of appointments and transfers of the judges should not come to the Ministry, to the Government of India. From the Chief Justice of the Supreme Court it should go direct to the President of Jndia. I am not saying about this Government only I am saying about the Janata Government also. They also did not change this. This is a national question and I think we should properly interpret the Constitution and the Government should not have any say in the matter of appointment and transfer of judges.

This Bill is only in regard to appointment of District Judges. But we should also go into the wider question of appointment and transfer of judges of the High Court and the Supreme Court including the Chief Justices. The powers in this regard should not remain with the Government. This is my point. As Mr. Ram Naresh Kushwaha has said, I do not agree with the Government's view that the Chief Justice of a High Court in a particular State should be from another State. It appears to me to be very ridiculous that if a judge is in a different State will be honest and if he is in his own Stale will not be honest. 1 do not agree with this.

In this connection I would also like to inform the House that in 1973 after the supersession of judges there was a very big meeting a two-day meeting in the Convention Hall of the Ashoka Hotel which was inaugurated by the former Chief Justice, J. C. Shah, wherein unanimously the lawyers of India said this very thing which I am saying now that the appointment etc. of judges should not be in the hands of the executive that there should be a seven member committee in the Supreme Court consisting of senior judges including the Chief Justice—similarly in the case of the High Court—who will de-

cide as to who will be the judges in the High Court and the Supreme Court. These are my suggestions.

श्री सुरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हमारे न्यायालय जिस प्रकार से काम कर रहे थे उससे जनता में कुछ असंतोष पैदा हुआ। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सभी न्यायालय उसी प्रकार से काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों काफी ऐसे फैसले दिये खासकर उन मामलों में जिनको पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन में शामिल किया जाता है, चाहे वह बंधुआ मजदूरों को लेकर हों, चाहे बहुत दिन तक विचाराधीन रहे कैदियों का मामला हो, बहुत अच्छे फैसले उन्होंने किये। लेकिन मुझको यह कहते हुए अफसोस होता है कि पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन के मामले में भी न जाने किस कारण सर्वोच्च न्यायालय के सोच-विचार में फर्क आया है और जितना पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन के सम्बन्ध में उन्होंने पहले काम किया अब उतना होता दिखाई नहीं देता। उसका एक कारण यह है कि पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किये सरकार ने उनकी चिन्ता नहीं की, जैसे विचाराधीन बन्दियों को रिहा करने का मामला था, राज्य सरकारों ने उस पर काम नहीं किया माफ कीजिए केन्द्रीय सरकार ने भी उसके अनुसार काम नहीं किया। जब उन्होंने बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के सम्बन्ध में फैसला दिया तब भी मैंने देखा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैंने तो सूचना मंत्री जी को दरखास्त दी, पत्र भी लिखा था कि जो फैसले हुए हैं जो जजमेंट दिये गये हैं उनको आप आकाशवाणी पर ब्राडकास्ट कराएं, सब लोगों को बताएं, लेकिन उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। यह तो सर्वोच्च न्यायालय से सम्बद्ध थोड़ी सी बात है।

लेकिन जिस किस्म की देर हो रही है, विलम्ब हो रहा है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने एक छोटा सा मामला देखा है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मोदीनगर में कपड़ा मिल में आन्दोलन था, कुछ लोग गिरफ्तार किये गये, जिन लोगों को 10 जुलाई को गिरफ्तार किया गया 307 और 302 धाराओं में, जमानत उनकी हो गई 2 अगस्त को, 5 अगस्त को लेकिन उनको 20 अक्टूबर तक रिहा नहीं किया। मैं नहीं जानता कि जिनकी 307 और 302 में जमानत हो जाती है उनको 107 और 117 में जमानत की तसदीक के लिए ढाई महीने तक बन्द रखा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। मैंने मुख्य मंत्री को कहा कि आप ऐसे एस० डी० एम० को क्यों नहीं हटाते जो लोगों की जमानत होने के बाद भी ढाई महीने तक उनको जेल में रखता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर को वक्त नहीं है बात सुनने का।

मोदीनगर का एक मामला और कह दूं। एक मिल बन्द हो गई। राज्य सरकार ने अध्यादेश दिया कि आप मिल बन्द नहीं कर सकते। मिल बन्द करने पर मुकदमा सरकार की तरफ से चलाया गया तो उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी और उच्च न्यायालय की रोक लगे छः महीने हो गये। रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुआ उस पर रोक लगे चार महीने हो गये, लेकिन उच्च न्यायालय ऐसा है कि मजदूरों के मामले पर यह ख्याल नहीं है कि जो छः-छः महीने से मजदूर भूखे हैं वे क्या खायेंगे। उनको चिन्ता नहीं है।

[श्री सुरेन्द्र मोहन]

जितने भी मजदूरों के मामले हैं खेतिहर मजदूरों के और किसानों के मामले हैं उनके लिये न्यायालयों को कोई चिन्ता नहीं होती। इसलिये हम लोगों ने बार-बार मांग की बार-बार हम लोगों ने कहा कि लैंड रिफार्म के जितने सवाल हैं उनसे संबंधित भूमि सुधार के हर एक कानून को नवीं सूची में दाखिल कर देना चाहिए। अगर आप उनको नवीं सूची में दाखिल कर देंगे तो यह काम बहुत आसान हो जाएगा और जो सरकार मांग करती है कि भूमि सुधार होना चाहिए उस सरकार को तो जरूर लैंड रिफार्म के कानूनों को नवीं सूची में डाल देना चाहिए।

मैं एक यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि न्यायालयों के पूरे तरीके पर पूरी तरह से फिर से विचार किये जाने की जरूरत है। ला कमीशन ने कई अपनी रिपोर्ट्स दी हैं लेकिन यह अफसोस की बात है कि ला कमीशन की रिपोर्ट्स पर कोई तवज्जेह नहीं दी जाती और उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया जाता है। इसी तरह से पुलिस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट्स दी है और उसकी सिफारिशों का ताल्लुक न्यायालय और जुडिशियरी से है लेकिन उनके संबंध में भी कोई ख्याल नहीं किया जाता। आज पूरी तरह से ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखायी देती कि न्यायालयों के संबंध में जिनके बारे में यहां बार-बार बहस होती है उन के बारे में पूरी तरह से कुछ सोचा जाए। लेकिन सब से बड़ी बात जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए वह विकेन्द्रीकरण की है। आज हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे मामले भी सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं। एक चुनाव याचिका जो एक राज्य सभा के सदस्य के चुनाव को लेकर 1978 में की गयी थी उसका फैसला 6 साल के बाद 1984 में किया गया जबकि उस सदस्य का टर्म ही पूरा हो गया। तो अगर किसी मामले में इतनी देर होती है तो यह ठीक नहीं है। छोटे-छोटे मामले होते हैं। लोक सभा के चुनाव में एक याचिका आयी। उसके बाद दो आम चुनाव हो गये तब उस याचिका का फैसला हो पाया। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर इतनी देरी होगी तो उसका क्या नतीजा होगा। आपको याद होना चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जहां जस्टिस में इतनी देरी होती है उस मामले में हम जस्टिस को ही डिनाई करते हैं। आप गौर फरमाइये कि हिन्दुस्तान के जितने उच्च न्यायालय हैं उन सब में अगर पेंडिंग केसेज को जोड़ लें तो कम से कम दो लाख मामले ऐसे हैं जिनका अभी निपटारा नहीं हुआ है और 25, 30 हजार मामले ऐसे होंगे कि जो 5, 7 साल से पड़े हुए हैं और उन पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो इस क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण की बहुत जरूरत है। इसमें यह भी जरूरत है कि आप फैसला करें कि लोगों को कैसे आप जल्दी से जल्दी न्याय दिला पायेंगे। डिस्पोजीशन आफ जस्टिस कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं इस पर भी आपको सोचना चाहिए। हमारे एक मित्र ने कहा कि इस में लोगों का कितना रुपया खर्च होता है इसको देखा जाये। आप ताज्जुब करेंगे कि छोटे-छोटे मामलों पर जिनका ताल्लुक 5 या दस हजार रुपयों से होता है 500 या 1000 रुपया तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। प्रापर्टी के जितने मामले हैं वे कुछ जल्दी तय हो जाते हैं लेकिन जिन मामलों का ताल्लुक आम और गरीब लोगों से होता है, जिनका ताल्लुक लोगों की रिहाइश से या सेक्योरिटी से होता है ऐसे मामले बहुत देर में तय होते हैं और इसलिये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब शुरू हुआ तो उसका हमने

स्वागत किया । लेकिन उसमें भी हम बहुत आगे नहीं जा रहे हैं । यह अफसोस की बात है । और जो देरी की बात है यह तो हमारी व्यवस्था की बात है ।

मैं एक छोटी-सी बात कह कर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और आशा है कि मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे । सरकार ने फैसला कर दिया कटिहार की जूट की एक खास मिल के संबंध में कि इसके मजदूरों को कुछ पैसा देना है और उसके लिये एडीशनल ग्रान्ट भी मंजूर कर दी । उस पैसे को क्लेम्स कमिश्नर को बांटना था । वह एक जूट की मिल का मामला है । सरकार कहती है कि पैसा हमारे पास है । हम मजदूरों को पैसा दे रहे हैं । मजदूर कहते हैं कि हमको 6 महीने से पैसा नहीं मिला । पैसा हमको मिलना चाहिए और जिस अफसर को पैसा देना है उस अफसर की नियुक्ति ही नहीं होती । तो हर एक बात में इतनी देरी कर के इतना विलम्ब कर के हम कोई अच्छी मिसाल नहीं रख रहे हैं और इसलिये इन बातों की तरफ हम को ध्यान देना चाहिए ।

एक तरफ से बात चली थी न्याय पंचायतें बनाने की । अगर न्याय पंचायतों के मामलों को अच्छी तरह से चलाया जाता और उसको जल्दी से खत्म नहीं किया जाता, उनको स्थायी बनाने की कोशिश की जाती तो उससे न्याय के विकेन्द्रीकरण की बात कुछ आगे बढ़ती । मैं उम्मीद करता हूं कि विकेन्द्रीकरण के सवाल को लेकर इसलिये कि न्यायालयों में मामलों को फैसला करने के बारे में ज्यादा देर न हो आप जरूर कुछ गंभीर विचार करेंगे । अन्त में, जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, मुझे यह कहना है कि हमने देखा है कि सरकार की तरफ से बहुत हस्तक्षेप न्यायालयों में होने लगा है । कोशिश यह हो रही है कि ऐसे न्यायाधीश बनें जो सरकारी पार्टी की मर्जी से काम करें । अगर यह होगा तो इतनी बड़ी जो संस्था बनी है, जिसका पूरे हिन्दुस्तान में नाम है, जिसके ऊपर हिन्दुस्तान के लोगों को श्रद्धा है, अगर उस श्रद्धा को हम तोड़ देंगे तो हिन्दुस्तान में कोई ऐसी संस्था नहीं है, जिसमें जनता की श्रद्धा हो । अगर ऐसा होगा तो यह देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हयातुल्ला अन्सारी (नाम-निर्देशित) : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, जो तकरीरें हुई, मैं उनको सुन रहा था । उनसे ऐसा मालूम होता है कि जो तरीका अदालतों का हमारे देश में है वह बिलकुल ठीक है ।

अभी यहां पर कहा गया कि इलेक्टेड मिनिस्टर लोग देवराहा बाबा के पास जाते हैं । यदि इलेक्टेड जज होंगे तो क्या वह वहां नहीं जाएंगे ? वैसे ही एक दलील यह दी गई कि अदालत काम नहीं करतीं । ऐसा नहीं है, वह स्वयं चाहते हैं कि काम जल्दी हो, निर्णय शीघ्र हो । हम तो यह चाहते हैं कि अदालतें कानून देखें और कुछ न देखें । मैं एक छोटी-सी मिसाल दूं । एक किस्सा कहा जाता है कि मोहन ने सोहन को कत्ल कर दिया । अदालत में केस हुआ । कुछ गलती की वकील ने, कुछ गलती की अदालत ने और मोहन को सजा हो गई सोहन को मारने के अपराध में सात साल की । उसके बाद वह जेल से छूटकर आया, उसको सोहन मिला तो उसने उसको मार डाला । कोर्ट ने कहा एक कत्ल की दो बार सजा नहीं मिल सकती और वह छूट गया । तो मुश्किल यह है कि अदालत ने गलती की । अखबारों में आया, हंगामा हुआ, लेकिन अदालतें उनकी बातें नहीं सुन सकतीं ।

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

दूसरी बात यह है कि जैसे काकोरी के केस के अन्दर जो मौत की सजायें हुई उनके ऊपर कत्ल करने का सबूत नहीं था। किसने मारा, यह साबित करना मुश्किल था, लेकिन उसमें चन्द्र शेखर भी गये, बिस्मिल भी गये, असफाक भी फांसी पर चढ़ गए। अंग्रेजों के शासन-काल में यह हुआ। जज वही है जो सिवाय सबूत के गवाहों को देखे ही नहीं। कहते हैं कि अदालतें अंधी होती हैं। अंधी ही होनी चाहिए। कौन मुसलमान है, कौन हरिजन है इससे अदालत को सरोकार नहीं होना चाहिए। आपकी अदालतें दुनिया में अपना ऊंचा दर्जा रखती हैं इतने ऊंचे और आल्हा दर्जे के फैसले किए हैं हमारी अदालतों ने, हमको उनको साफ करना चाहिए, दुनिया के सामने।

अमरीका में अखबार आजाद है। रोज क्रिटिसाइज करते हैं अदालतों के फैसलों को। उससे इतनी खराबियां होती हैं कि लोग उन बातों को समझते नहीं है। हमारे यहां यह नहीं होता है। अदालतों के फैसलों की आलोचना किसी ने नहीं की। हमें फख्र करना चाहिए कि हमारी अदालतें हिन्दुस्तान की शान हैं। यह मैं मानता हूं कि फैसलों में 20–20 साल लग जाते हैं। लेकिन इस पर ला मिनिस्टर को गौर करना चाहिए कि यह कैसे हो। इसके लिए अदालतों पर धब्बे डालना ठीक नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 20 साल में गलतियां नहीं हुई। इंग्लैंड की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जायजा लिया गया, उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये गलतियां हुईं। लेकिन हिन्दुस्तान में एकाध कोई गलती हुई हो, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं हुई बड़े पैमाने पर। मैं तो अपने कंडीडेट के लिये काम करूंगा। यह भी करेंगे और वह भी करेंगे। चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, यह किसी पार्टी का हो। पार्टी का नाम नहीं लेंगे काम करेंगे। वोट देंगे। आज आप मिनिस्टर पर एतराज करते हैं, हालांकि वह जीत कर आता है। उसमें आप कहते हैं यह ऐसा नहीं है। जज आयेंगे तो क्या आप नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया जिससे यह चैक कर सके कि हमारे हाई कोर्ट में खराबी है, या वहां कोई खराबी है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Mr. Minister, would you lik_e to start today and conclude next |ime?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : जैसा आप कहें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): You just start.

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, after listening to the various honourable speakers, I feel that Uic Bill which has been brought forward by Shri Jha has not received much support. And the reason is obvious because, apart ('••im the basic question whether we should introduce the element of election in ihe appointment of judiciary, the Bill suffers from some inherent contradictions. The one inherent contradiction which I would point out in the very beginning is this: The mover says that the District Judge shall be elected by the Graduates living in that district and then he further says, "'and in the case of appointment is recommended by the High Court". Well With all respect to my esteemed friend, I have not been abl_e to follow that. Once that person has been elected then where does the High Court come in? He is elected. The present position in the Constitution has been accepted by Shri Jha that there should be a recommendation of the High Court for the appointment of a District Judge. As has been explained by

another honourable Member Shri Mitraji . the present position is that . the High Court interviews those people the High Court judges their efficiency, the High Court is expected to know that this particular Advocate or Pleader is fit for the job and then the High Court makes up its mind and then the High Court recommends. But what ia the role which the Bill Bill gives to the High Court? According to me, the Bill, as drafted or even the idea, as conceived, does not bring in the High Court at any stage because, once the Graduates elect a particular person who is eligible—and Shri Jha has defined his eligibility that he should he an Advocate or Pleader of not less than seven years' standing—and once he is elected then the High Court will play no role. If he is elected he should be appointed as a District Judge hy the Government. Therefore, this is one inherent contradiction.

Another contradiction which J would point out for the benefit of the honourable mover is this: How has he selected the electorate? How are the Graduates of that particular district competent to elect a District Judge? The Graduates may not be lawyers at all. The Graduates may know nothing about law courts. The Graduates may know nothing about the type of litigation which the District

5 P.M. ges have to handle. Well, surely they are not the persons on whose judgment we can depend. Therefore, what I feel is that thi-- Bill has'been moved by the hon. Mover without much deliberation and without much thought. Tbe only idea which is underlying the Bill is that we should democratize the judicial system not in a big way but. according to him, on an experimental basis because he says that at least one District Judge should be elected. Again there is a contradiction. Probably my friend knows that in a particular district there is only, one District Judge; others are only -Additional District Judge indicates that he is the Judge of the district. Now, therefore, to say af least one District Judge is again a contradiction in terms. If my friend is so much embedded to bring jn election in the Judiciary why should he not got whole hog? Then he should say that there should be ejected Judges. Now the only argument which my hon. friend has been able to advance...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Mr. Minister just before we disperse and adjourn for the day, there is one Special Mention by Shri Rameshwar Singh which has been left over.

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: Then I will continue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Yes, it will continue rlnight later.

AN HON. MEMBER: Is it a special favour?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Yes; out of turn.

REFERENCE To THE ALLEGED USE OF ANIMAL BLOOD IN MEDICINES

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह मामला देश के इन्टेरेस्ट में भी है और हम सब के इंटेरेस्ट में भी है। हम समझते हैं कि इस संबंध में हम सब एक राय के होंगे। हमारे देश में दवाओं के नाम पर, मैंने यह बात पिछले सत्र में भी उठाई थी कि किस तरीके से जनता को खाद्य में अखाद्य मिला कर खिलाया जा रहा है, दवाओं में किस तरीके से अखाद्य मिलाया जा रहा है। इसका नमूना थोड़ा मैं आपको बताता हूं। मेरे पास दवा की ये दो शीशियां है . . .

(व्यवधान)। यह हंसी की बात नहीं है। इन शीशियों में दवा है। इन दवाओं की हालत क्या है? पशुओं की चर्बी और पशुओं के खून से यह बोतल भरी हुई हैं। किसी भी डाक्टर या साइंटिस्ट से आप पूछ लीजिये कि इनमें जानवरों क रक्त रखा गया है या नहीं। यह जनता